न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:260/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00173)

1. सुखदेव सिंह उर्फ सुखमन सिंह पुत्र श्री महंगाराम उर्फ मेंगासिंह जाति राजपूत उम्र करीब 62 साल, निवासी ग्राम अलजावलपुर तहसील रामगढ जिला अलवर, राजस्थान

——अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र दयाल सिह उर्फ दयालराम पौत्र महंगाराम उर्फ मेंगासिंह जाति राजपूत उम्र करीब 44 साल,
2. श्रीमती पारोबाई बेवा दयाल सिंह उर्फ दयालराम, जाति राजपूत उम्र करीब 65 साल, निवासीयान ग्राम अलावलपुर तहसील रामगढ जिला अलवर, राजस्थान।

——**असल रेस्पोडेन्ट्स**

3. तहसीलदार रामगढ, तहसील रामगढ, जिला अलवर।

——**तरतीबी रेस्पाडेन्ट**

निर्णय

दिनांकः 20.09.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबुझकर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया जबकि नामान्तरकरण संख्या 666 जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है वह नामान्तरकरण तहसीलदार रामगढ के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय की पालना में दर्ज व स्वीकृत किया गया था जिस निर्णय व डिक्री को रेस्पोडेन्ट द्वारा चुनौती नही दी गई तथा स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि नामान्तरकरण संख्या 666 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय की पालना में दर्ज व स्वीकृत किया गया है ऐसी सूरत में जब तक उपखण्ड अधिकारी का उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त नही हो जाती तब तक उस आदेश की पालना में नामान्तरकरण निरस्त नही किया जा सकता है किन्तु इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायायल ने गौर नही किया व विधि के विपरित अपीलाधीन निर्णय मनमाने रूप से पारित किया जो कि निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट स्वय द्वारा अपीलान्ट की हद तक सही होना माना किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये ही अपीलान्ट की हद तक सही एवं विधिक आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय इसी आधार पर भी निरस्त किय जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट प्रकरण मे एक आवश्यक पक्षकार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

होने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि विवादित आराजी में अपीलान्ट का हित व निहत है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपीलान्ट को अपील पेश करना आवश्यक हुआ जिसकी अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2019 को अपीलान्ट के हकूकों की सीमा तक निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आराजी विवादग्रस्त खसरा नम्बर 337 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1210 रकबा 0.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.82 हैक्टयर, खसरा नम्बर 726 रकबा 1.111 हैक्टयर, खसरा नम्बर 723 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 451 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 453 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.03 बिस्वा, खसरा नम्बर 226 रकबा 0.1 बिस्वा, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.3 बिस्वा व खसरा नम्बर 220 रकबा 0.3 बिस्वा वाके ग्राम अलावलपुर में स्थिति है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के ससुर महंगाराम की कब्जे काश्त की आराजी है। उन्होने आगे कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ में दिनांक 26.06.2002 को मुकदमा संख्या 1/153 में दिये गये आदेश के मुताबिक महंगाराम की उक्त आराजी का रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खातेदार काश्तकार घोषित किया गया के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने योग्य था लेकिन तहसीलदार रामगढ द्वारा मुताबिक रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज नही किया गया व नामान्तरकरण संख्या 666 को अमल दरामद किया गया जिसमें महंगाराम के नाम जो खसरा नम्बर रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करने थे वे भी दर्ज नही किये गये जिसकी जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरकरण संख्या 666 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा प्रकरण का विधिक तौर पर परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवश्यक पक्षकार था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी नामान्तरकरण संख्या 666 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दिनांक 25.08.2002 को स्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई

P.T.O.

है उसमें अपीलान्ट को एक आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार संयोजित नही किया गया है जिससे प्रकरण के वास्तविक तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही आ पाये है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट को सुनकर ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.09.2019 पारित किया गया है जिससे अपीलान्ट के हक, हकूक प्रभावित होते है। जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायलाय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2019 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर